



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 भाद्र, 1947 (श०)

संख्या - 407 राँची, सोमवार,

25 अगस्त, 2025 (ई०)

गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

संकल्प

30 जुलाई, 2025

पत्रांक संख्या-15/8/एम०-4012/2007-3114-

विषय:- पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने की प्रक्रियाओं में संशोधन के संबंध में ।

विभागीय संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 द्वारा राज्य के पुलिस पदाधिकारियों/कर्मचारियों को झारखण्ड स्थापना दिवस (15 नवम्बर) के अवसर पर पुलिस पदक से सम्मानित करने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित है, जिसके तहत राज्य के पुलिस पदाधिकारियों / कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट सेवा, सराहनीय सेवा तथा वीरता के लिए प्रत्येक वर्ष झारखण्ड राज्यपाल पदक, झारखण्ड पुलिस पदक एवं झारखण्ड मुख्यमंत्री पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाता है ।

2. उपरोक्त संकल्प में विभिन्न पदकों के लिए संख्या का निर्धारण निम्न प्रकार किया गया है:-

पदक का नाम	मा०पु०से० के पदाधिकारी	राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं उपर के स्तर)	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी तक निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी	हवलदार एवं आरक्षी	कुल संख्या
विशिष्ट सेवा के लिए झारखण्ड राज्यपाल पदक	01	02	03	04	10
सराहनीय सेवा के लिए झारखण्ड पुलिस पदक	02	04	10	15	31
वीरता के लिए झारखण्ड मुख्यमंत्री पदक	वीरता पदकों की संख्या सीमित नहीं होगी। यह पदक उन सभी पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा, जिन्होंने अदम्य साहस, शौर्य तथा वीरता का प्रदर्शन किया हो।				

झारखण्ड गठन के पश्चात् वर्ष 2001 में गठित संकल्प के इतने लंबे वर्षों के अंतराल के पश्चात् भी विशिष्ट सेवा के लिए "झारखण्ड राज्यपाल पदक" एवं सराहनीय सेवा के लिए "झारखण्ड पुलिस पदक" हेतु कोटिवार निर्धारित संख्या में कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है, जिससे कई योग्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मिगण झारखण्ड सरकार द्वारा दिये जाने वाले इस पदक से वंचित रह जाते हैं।

3. सम्प्रति राज्य सरकार द्वारा विभागीय संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 में विभिन्न पदकों यथा विशिष्ट सेवा के लिए "झारखण्ड राज्यपाल पदक" एवं सराहनीय सेवा के लिए "झारखण्ड पुलिस पदक" हेतु विभिन्न वर्गीकरण एवं निर्धारित कोटिवार कर्णांकित संख्या में वृद्धि के साथ ही इस पदक को आरक्षी से महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों को दिये जाने के निमित्त संकल्प में निम्न संशोधन किया जाता है:-

(i) संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-2.1 (iv) में अंकित निम्न प्रावधान :-

"2.1 (iv). राज्यपाल पदक, पुलिस सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा, जिसमें क्षेत्र में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्यालयों में कार्यरत कर्मों इसके पात्र नहीं होंगे।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"2.1(iv). राज्यपाल पदक, पुलिस सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों/कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा, जिसमें क्षेत्र में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी/कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों इसके पात्र नहीं होंगे।"

(ii) संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-2.1 (v) में अंकित निम्न प्रावधान :-

2.1 (v). राज्यपाल पदक प्रत्येक वर्ष दस पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्न वर्गीकरण के अनुसार दिया जायेगा:-

(1)	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	-	01 (एक)
(2)	राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं उपर स्तर के)	-	02 (दो)
(3)	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी	-	03 (तीन)
(4)	सिपाही एवं हवलदार	-	04 (चार)
कुल			10 (दस)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

2.1(v). राज्यपाल पदक प्रत्येक वर्ष कुल 21 (ईक्कीस) पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्न वर्गीकरण के अनुसार दिया जायेगा:-

(1)	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	-	03 (तीन)(01 पदक राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में induct होने वाले पदाधिकारियों के लिए कर्णांकित)
(2)	राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं उपर स्तर के)	-	04 (चार)
(3)	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी	-	06 (छः)
(4)	सिपाही एवं हवलदार	-	08 (आठ)
कुल			21 (ईक्कीस)

(iii) संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-2.11 (iv) में अंकित निम्न प्रावधान :-

"2.11 (iv). झारखण्ड पुलिस पदक, पुलिस सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा, जिसमें क्षेत्र में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्यालयों में कार्यरत कर्मों इसके पात्र नहीं होंगे।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"2.11 (iv). झारखण्ड पुलिस पदक, पुलिस सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर तक के पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा, जिसमें क्षेत्र में कार्यरत पुलिस पदाधिकारी / कर्मियों को प्राथमिकता दी जायेगी। कार्यालयों में कार्यरत कर्मों इसके पात्र नहीं होंगे।"

(iv) संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-2.11 (v) में अंकित निम्न प्रावधान :-

2.11 (v). झारखण्ड पुलिस पदक से प्रत्येक वर्ष कुल 31 (इकतीस) पदाधिकारियों / कर्मियों को निम्न वर्गीकरण के अनुसार पुरस्कृत की जा सकेगी:-

(1)	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	-	02 (दो)
(2)	राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं उपर स्तर के)	-	04 (चार)
(3)	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी	-	10 (दस)
(4)	सिपाही एवं हवलदार	-	15 (पंद्रह)
कुल			31 (ईकतीस)

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

2.11 (v). झारखण्ड पुलिस पदक से प्रत्येक वर्ष कुल 60 (साठ) पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्न वर्गीकरण के अनुसार पुरस्कृत की जा सकेगी :-

(1)	भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	-	06 (छः) (02 पदक राज्य पुलिस सेवा से भारतीय पुलिस सेवा में induct होने वाले पदाधिकारियों के लिए कर्णांकित)
(2)	राज्य पुलिस सेवा के पदाधिकारी (उपाधीक्षक एवं उपर स्तर के)	-	08 (आठ)
(3)	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक स्तर तक के पदाधिकारी	-	20 (बीस)
(4)	सिपाही एवं हवलदार	-	26 (छब्बीस)
कुल			60 (साठ)

(v) संकल्प संख्या-426/सी०एस०, दिनांक-13.11.2001 की कंडिका-2.III (iv) में अंकित निम्न प्रावधान :-

"2.III (iv). यह पदक पुलिस सिपाही से लेकर पुलिस महानिरीक्षक स्तर के पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा।"

को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

"2.III (iv). यह पदक पुलिस सिपाही से लेकर महानिदेशक स्तर के पदाधिकारियों / कर्मियों को प्रदान किया जा सकेगा।"

4. विशिष्ट सेवा के लिए "झारखण्ड राज्यपाल पदक" एवं सराहनीय सेवा के लिए "झारखण्ड पुलिस पदक" के निर्धारित कोटा में बढ़ोतरी के फलस्वरूप अनुमानित अतिरिक्त वार्षिक आवर्तक व्यय ₹ 12,75,000/- (बारह लाख पचहत्तर हजार रुपये मात्र) होगा।

5. उक्त व्यय का वहन पूर्व से निर्धारित शीर्ष से किया जाएगा तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्व से घोषित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा तथा इस संदर्भ में पूर्व से निर्गत सभी आदेश/संकल्प इस हद तक संशोधित होंगे।

7. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की दिनांक-20.06.2025 की बैठक के मद संख्या-16 में स्वीकृति प्राप्त है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,

सरकार के प्रधान सचिव ।
